सत्यमेव जयते

न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India

संविधान सभा की गौरवशाली यात्रा

26 नवंबर 2019 – 26 नवंबर 2020

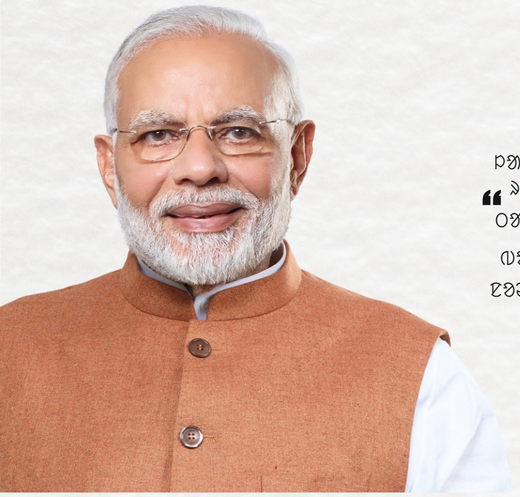

"आज हम संविधान, सबका साथ सबका विकास की भावना को आगे बढ़ाते हुए आगामी 5 वर्षों में भारत को विकास के नए आयाम पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं।"

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

आज का संविधान

- आज का संविधान, दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। इसे संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाया था। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं।
- आज का संविधान दुनिया के सभी देशों के संविधानों का निचोड़ है। इसमें भारत की आत्मा बसती है। इसमें भारत की विरासत, संस्कृति और भारत के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।
- संविधान में भारत के लोगों के अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति-निदेशक तत्व, शासन व्यवस्था, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, सशस्त्र बलों, आपातकालीन प्रावधानों, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बँटवारा, पंचायत, नगरपालिका, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भाषा, चुनाव, नागरिकता, संविधान में संशोधन, आपातकाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, केंद्र-राज्य संबंध, आपातकाल, संविधान में संशोधन आदि का उल्लेख है।
- संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब तक इसमें 105 संशोधन हो चुके हैं।

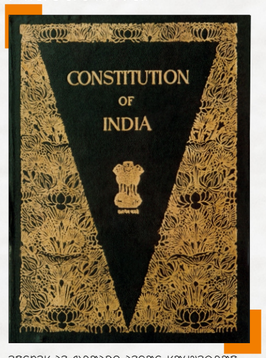

संविधान में आज का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें 105 संशोधन हो चुके हैं।

"आज का संविधान हमारे देश का है

आज का संविधान हम सबका है"

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

संविधान सभा की यात्रा

"संविधान सभा की बैठकें, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुईं। इसके बाद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। 29 अगस्त 1947 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसके बाद 15 अगस्त 1950 को अंतरिम संसद का गठन हुआ। 26 जनवरी 1950 को अस्थायी संसद ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के सदस्यों का चुनाव किया। 26 जनवरी 1950 को ही डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ। इसके बाद 15 जून 1951 को संविधान में पहला संशोधन किया गया। 26 जनवरी 1950 को ही डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ। इसके बाद 15 जून 1951 को संविधान में पहला संशोधन किया गया। 26 जनवरी 1950 को अस्थायी संसद ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के सदस्यों का चुनाव कि

ইনেরাব মা ওপরাব চমাওযার

মানচযমে ইমাযারকসমে রচেমে ওরা ওচরমরচা যারেরেরম

> ইমেইমে চরেমা রে
> চরেমে চমাওযার মে
> ওকসরচমে মেচমে
>
> **ওমমমেওমে মেমেকসে**

ইমেরাব মা ওপরাব চমাওযার মেমচমরমা রে যারেমেমেরচ রচেমা রে মেমেরাব মেমাযারকসমে রচ.মেরক ২৬ চমাওরচ ২০১৭ চসরে ২৬ চমাওরচ ২০২০ ওমেমরে কমেরেম রে ইরেমে চম.মেরকসমে মেচে মচমেমে।

মেরক চকেরে

- মেরকসরে রে ওমে চে কমেরেমে রে চরে ইমেরাব মে.মেরক মে রে মে ওরেমে মেমেযারকসমে মা চেমে রে কে ওরেমে মেমেরে চে মা ইরকসম.ও চে রেরেমে ইমেরা রে রে মেমেরমে।
- মেরেরে ইমেরাব চে ইমেম.ও রেরে ইমেরাব চে, ইমেমেম মা মা মেমেযারে মেরমেরে চমাওযার চরেমে মে.মেরক।
- ইমেরাব চে রে মেমেযারেরে রচেমে মেমেমেমে মেরমেরে মেমেরে রে মেমেরে মেমেরে রচেমে ইমেরা।
- মেযারে মেমচমেমে মেচেমেমেমে মা ইমেমেমেরে রচেমে মেমেমেমে চেমে মা মেমেযারে মেরেমে রে ইমেরাব চেমেমে মেমেরে মেমেমে রে মেমেরে মে.মেরক।

ইমেরাব চমাওযার মেরমেরে রে ইমেমেরে ওমেমরে

- মেমেমেরে রচেমে ইমেমেযারকসমে মেমেমেওমেমে মেমেমেমে মে, চেমেমেযারে মেমেমেরমে রে ইমেরাব চমাওযার চরেমে মে.মেরক।
- MyGov.in রে চেমেমেযারে ইমেমেযারকসমে মেমেমে চমেমেমে মা চেমেমেমেমে মেমেরে মেমেমেরেমে রে মেমেমে মেমেমেমে মে
- www.doj.gov.in রে মেমেযারে, মেমেযারে মা ২মমে চেমেমেমে মেমেযারে মেমেযারে মে

> মে চমে মে মেরে চেমে চমে চমে চমে
> ইমেমেমেমে মে ইমেযারে চমাওযার মে
> রে ইমেযারে চমাওযার মে মেমেযারে
> মে ইমেযারে চমাওযার মে মেমেযারে
> মে ইমেযারে চমাওযার মে মেমেযারে
> ম